

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/स्था./2020/353

जबलपुर, दिनांक: 20/03/2020

आदेश (संशोधित)

महामहिम राज्यपाल के अपर सचिव के पत्र क्रमांक 446/रा.स./यू.ए.-3/2020, भोपाल दिनांक 20 मार्च, 2020 के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से पूर्व में शैक्षणिक कार्य बंद किये जाने का आदेश प्रसारित किया जा चुका है। अतः आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक शैक्षणिक कार्य में लगे स्टाफ के लिये भी अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान सभी शिक्षक सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए अपने प्रशासनिक कार्य और अन्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय में ही रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें बुलाया जा सके।

आवेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 20/03/2020

पृ.क्र/स्था./2020/353(अ)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त शिक्षणगण/समस्त अतिथि विद्वानों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अपर सचिव, राजभवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
8. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तत्काल वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
10. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव

20.3.2020

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर